Mail

!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

कमांक : स्था./61/2025/ दिनांक : 11 SEP 2025

:: आ दे श ::

I

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश कमांक G/I/B-4(i)(a)/1/76/772 दिनांक 03.09.2025 के द्वारा निम्नांकित श्री मनोज वशिष्ठ, प्रोसेस सर्वर का भरतपुर न्यायक्षेत्र से अलवर न्यायक्षेत्र में अन्तर जिला न्यायक्षेत्र स्थानान्तरण, आदेश में वर्णित शर्तो के अधीन किया गया है। श्री वशिष्ठ द्वारा दिनांक 10.09.2025 को पूर्वाह्न में इस कार्यालय में अपनी उपस्थिति दी गई है। श्री वशिष्ठ को कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, किशनगढबास में प्रोसेस सर्वर के रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है।

II

श्री मनोज वशिष्ठ, प्रोसेस सर्वर कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, किशनगढबास को प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर में लगाया जाता है।

III

श्री मनोज वशिष्ठ, प्रोसेस सर्वर को इस कार्यालय से आज दिनांक 11.09.2025 को अपरान्ह में कार्यभार मुक्त किया जाकर निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति तुरन्त प्रभाव से कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, किशनगढबास में देवे। श्री वशिष्ठ के अवकाश खाते में 08 दिवस के आकस्मिक अवकाश शेष हैं। श्री वशिष्ठ को इस आदेश के तहत कोई योगकाल एवं यात्राभत्ता देय नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अन्तर जिला न्यायक्षेत्र स्थानान्तरण पर आये श्री मनोज वशिष्ठ, प्रोसेस सर्वर वर्तमान में इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत प्रोसेस सर्वर की वरीयता सूची में कनिष्ठतम रहेगे। कर्मचारी की उपस्थिति रिपोर्ट व कार्यमुक्ति आदेश की प्रतियॉ नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

sd-
(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

Mail कमांक : स्था./2025/ 31487-31494 दिनांक : 11 SEP 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खैरथल–तिजारा
2. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1, किशनगढबास
3. नाजिर, जिला न्यायालय, अलवर/खैरथल–तिजारा
4. सम्बंधित कर्मचारी/लेखा शाखा/रक्षित पत्रावली
5. सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई–मेल करने हेतु।

11.9.25
(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र